न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

**अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1687/2025**
**परिवाद वाद संख्या– 1958सी/2023**

मो0 सिरोज ..... आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

**आदेश**

**25-05-2026** आवेदक/अभियुक्त मो0 सिरोज की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो परिवाद वाद संख्या– 1958सी/2023, अंतर्गत धारा– 498A/34 भा0द0वि0 एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित है, को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 अफजल हुसैन एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद परिवादिनी हमीदा खातून के अनुसार यह है कि उसकी शादी दिनांक 16.05.2017 को 35,000 देन मोहर के साथ मो0 सिरोज से हुई थी। परिवादिनी के माता–पिता द्वारा दो लाख रूपया नगद तथा घरेलू सामान दिया गया। कुछ समय के बाद एक लाख रूपया तथा बुलेट मोटरसाईकिल हेतु परिवादिनी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। दहेज मांग पूरा नहीं होने पर अभियुक्तगण परिवादिनी को घर से सारा सामान लेकर बच्चा सहित भगा दिया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक द्वारा पूर्व में इस आवेदन के अलावे कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। आवेदक परिवादिनी का पति है। आवेदक कभी भी अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया है। आवेदक अपनी पत्नी को पूर्ण गरिमा एवं सम्मान के साथ रखने को तैयार है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के विरूद्ध धारा 498A/34 भा0द0वि0 एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आवेदक परिवादिनी का पति है। आवेदक तथा परिवादिनी के मध्य कुछ शर्तों के साथ राजी खुशी से बिना किसी आपत्ति का मध्यस्थता सफल रहा। आवेदक अपनी पत्नी को पूर्ण गरिमा एवं सम्मान के साथ रखने को तैयार है तथा परिवादिनी भी अपने पति के साथ रहने को तैयार है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदक को आदेश प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार होने अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर रू 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करने एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों के अनुपालन करने पर, आवेदक को निम्न शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1.प्रस्तुत मामले में जमानतदार आवेदक का रक्त संबंधी होगा, जो आवेदक एवं परिवादिनी/पीड़िता के मध्य संबंध को सामान्य बनाने का पूरा प्रयास करेगा तथा आवेदक पीड़िता को किसी भी प्रकार से भविष्य में प्रताड़ित नहीं करेगा।
2.आवेदक पीड़िता व बच्चों के भरण–पोषण, दवा–ईलाज का पूरा व्यवस्था करेगा और सम्मान के साथ रखेगा।
3.आवेदक विचारण के क्रम में विचारणीय न्यायालय में बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

यदि आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करता है, तो उसके बंध–पत्र को निरस्त करने की स्वतंत्रता विद्वान विचारणीय न्यायालय को होगी।

(लेखापित)

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।